



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



संख्या - 103 राँची, शुक्रवार, 4 फाल्गुन, 1945 (श०)
23 फरवरी, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

21 दिसम्बर, 2023

संख्या-5/आरोप-1-57/2023 का०-7145--श्री भोगेन्द्र ठाकुर, सेवानिवृत्त (दिनांक 31.07.2022) झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-614/03), तत्कालीन नजारत उप समाहर्ता, पलामू, सम्प्रति- मृत के विरुद्ध उपायुक्त, पलामू के पत्रांक-456, दिनांक 28.08.2023 द्वारा आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया ।

उक्त आरोप पत्र में ठाकुर के विरुद्ध आरोप प्रतिवेदित है कि इनके कार्यकाल दिनांक 22.06.2007 से 05.03.2009 में तत्कालीन नजीर श्री शैलेश कुमार एवं आपूर्तिक्ताओं के मिलीभगत कर विभिन्न मदों में स्वीकृत राशि 5,39,237/- (पाँच लाख उनचालीस हजार दो सौ सत्ताईस) रुपये के विरुद्ध उपायुक्त, पलामू के पदनाम से भारतीय स्टेट बैंक मेदिनीनगर में संचालित चालू खाता सं०-11112106147 से कई चेकों के माध्यम से चेक में छेड़छाड़ एवं बायें तरफ अंक एवं शब्द जोड़कर कुल 19,39,227/- (उन्नीस लाख उनचालीस हजार दो सौ सत्ताईस रुपये) की निकासी की गई, जो स्वीकृत राशि में 14,00,000/- (चौदह लाख) अधिक है। उक्त सरकारी राशि की निकासी में

इनकी सहभागिता तथा लापरवाही को दर्शाता है। उक्त कार्यावधि के दौरान कभी भी चेक पंजी का Bank Statement के साथ Reconciliation नहीं किये जाने के कारण तत्कालीन नाजिर द्वारा की गयी अनियमितता इनके द्वारा प्रकाश में नहीं लाया गया तथा बचत बैंक खातों में जमा राशि पर अर्जित सूद की राशि रोकड़ पंजी में दर्ज नहीं किया गया। यदि बैंक स्टेटमेंट से कैश बुक के अवशेष राशि तथा चेक पंजी का Reconciliation किया जाता तो इतनी बड़ी राशि की निकासी की सरकारी राशि का गबन नहीं होता। साथ ही चेक में अंकित राशि में छेड़छाड़ तथा अंकीय कुटरचना कर बांये तरफ अंक जोड़कर बिना स्वीकृति के रतन लाल पेट्रोल पम्प का विपत्र पारित किया गया है, जो उनके द्वारा नजारत के कार्यों में बरती गयी लापरवाही एवं स्वेच्छाचारित का द्योतक है।

श्री ठाकुर के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों की समीक्षा के क्रम जिला दण्डाधिकारी-सह उपायुक्त का कार्यालय, धनबाद के पत्रांक-1353, दिनांक 18.08.2023 के अनुसार श्री ठाकुर की मृत्यु हो चुकी है।

भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग), नई दिल्ली के पत्र, दिनांक 20 अक्टूबर, 1999 में निम्न प्रावधान है-

"The undersigned is directed to say that this Department has been receiving references seeking clarification whether disciplinary cases initiated against the Government servant under CCS (CCA) Rules, 1965, could be closed in the event of death of the charged officer during pendency of the proceedings. After careful consideration of all the aspects, it has been decided that where a Government servant dies during the pendency of the inquiry i.e. without charges being proved against him, imposition of any of the penalties prescribed under the CCS (CCA) Rules, 1965, would not be justifiable. Therefore, disciplinary proceedings should be closed immediately on the death of the alleged Government servant."

अतः समीक्षोपरांत उपर्युक्त प्रावधान के आलोक में श्री भोगेन्द्र ठाकुर, सेवानिवृत्त (दिनांक 31.07.2022) झा0प्र0से0, तत्कालीन नजारत उप समाहर्ता, पलामू, सम्प्रति-मृत के विरुद्ध उपायुक्त, पलामू के पत्रांक-456, दिनांक 28.08.2023 से प्राप्त आरोप पत्र को संचिकास्त किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्दू दोराईबुरु,
सरकार के उप सचिव।
